ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 229-234
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- II, Issues-24, YEAR- April-June-2022

भारत वर्ष में प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण की आवश्यकता, प्रयास, समस्या एवं सुझाव

प्रतिभा खरे
शिक्षण सहायक, इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी (उ0प्र0) भारत

Received-20.06.2022, Revised-25.06.2022, Accepted-29.06.2022 E-mail: pratibhakhare793@gmail.com

सारांशः – *प्रत्येक राष्ट्र की प्रथम प्राथमिकता उसके जन–जन को प्राथमिक शिक्षा से शिक्षित कराना है, यह प्रथम कदम है जिसे सफलता पूर्वक पार करके ही प्रत्येक राष्ट्र अपने मुख्य लक्ष्य तक पहुँचता है। राष्ट्रीय जीवन के साथ–साथ जितना घनिष्ठ सम्बन्ध प्राथमिक शिक्षा का होता है उतना माध्यमिक या उच्च शिक्षा का नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों की शिक्षा अथवा जन साधारण की शिक्षा ही राष्ट्रीय प्रगति का मूल आधार है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का एक नीति निर्देशक सिद्धान्त भारत सरकार ने घोषित किया। महात्मा गांधी के शब्दों में "समाज के पुनर्निमाण, तथा सामाजिक जागरूकता केवल शिक्षा के प्रचार–प्रसार से ही संभव है।" 6 से 14 वर्ष के आयुवर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमारे संविधान में किये गये प्रावधान को पूरा करने के लिये भारत शासन ने प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में धन का प्रावधान कर शिक्षा के प्रचार–प्रसार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की तथा विभिन्न सामजिक समूहों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया। जुलाई 1986 से जून 1987 तक हुए बयालिसवें राष्ट्रीय मानक सर्वेक्षण के द्वारा प्राथमिक पाठशालाओं में नामांकन न होने तथा पाठशाला त्यागने के कारणों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। अखिल भारतीय सर्वेक्षण 1986 के द्वारा ज्ञात यह तथ्य कि लगभग 50 प्रतिशत बालक–बालिकाएं कक्षा 5 तक पहुँच कर पाठशाला छोड़ देते हैं। संविधान के इन निर्देशों के पालन हेतु सन् 1954–1955 में अनिवार्य शिक्षा योजना प्रारम्भ की गई जिसे पूरे देश में लागू किया गया। प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एक अभिनव प्रयोग है, जिसकी सार्थकता एवं सफलता स्थानीय लोगों के सहयोग, सहभागिता व साझेदारी पर निर्भर है।*

कुंजीभूत शब्द– प्राथमिकता, सफलता, राष्ट्रीय जीवन, माध्यमिक या उच्च शिक्षा, जन साधारण की शिक्षा, राष्ट्रीय प्रगति।

प्रस्तुत शोध पत्र में, मैं भारत वर्ष में प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की आवश्यकता एवं महत्व पर चर्चा करने का प्रयास कर रही हूँ। प्रत्येक राष्ट्र की प्रथम प्राथमिकता उसके जन–जन को प्राथमिक शिक्षा से शिक्षित कराना है, यह प्रथम कदम है जिसे सफलता पूर्वक पार करके ही प्रत्येक राष्ट्र अपने मुख्य लक्ष्य तक पहुँचता है। राष्ट्रीय जीवन के साथ–साथ जितना घनिष्ठ सम्बन्ध प्राथमिक शिक्षा का होता है उतना माध्यमिक या उच्च शिक्षा का नहीं। राष्ट्रीय विचार धारा तथा चरित्र के निर्माण में जितना महत्वपूर्ण समय एवं स्थान प्राथमिक काल का है उतना माध्यमिक व उच्च शिक्षा या किसी दूसरी सामाजिक शैक्षणिक व राजनैतिक गतिविधयों का नहीं। प्राथमिक काल का सम्बन्ध किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग से न होकर देश की पूरी जनसंख्या से होता है। इसका सम्पर्क प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक कदम पर होता है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों की शिक्षा अथवा जन साधारण की शिक्षा ही राष्ट्रीय प्रगति का मूल आधार है। इस शिक्षा की अवहेलना करने के कारण ही भारत वर्ष का इस सीमा तक पतन हुआ अतः इसका उत्थान करके ही देश का कल्याण हो सकता है स्वामी विवेकानन्द के अनुसार "मेरे विचार से जन साधारण की अवहेलना महान राष्ट्रीय पाप है और हमारे पतन के कारणों में से एक है सभी राजनीति उस समय तक विफल रहेगी जब तक की भारत में जन साधारण को एक बार फिर भली–भाँति शिक्षित नहीं कर लिया जाएंगा।"

बीसवीं सदी के प्रारम्भ में ही हमारे देश में शिक्षा के लोकव्यापीकरण की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। इस शताब्दी के प्रथम दशक में बम्बई से सर चिमन लाल शीतलवाद और सर इब्राहीम रहीम तुल्ला जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों ने अपने प्रान्त की सरकार से बम्बई नगर में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ करने की सशक्त शब्दों में मॉग की थी। वर्ष 1906 में सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति के प्रतिवेदन को इस मांग के अनुकूल न प्राप्त होने की दिशा में सार्थक पहल करते हुये बड़ौदा राज्य के महाराजा सामजी राव गायकवाड़ ने एक अधिनियम बनाकर अपने राज्य के सभी बालक–बालिकाओं के लिये प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बना दिया। बड़ौदा के महाराजा के सफल परीक्षण व उत्कृष्ट उदाहरण का गोपाल कृष्ण गोखले पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। श्री गोखले उस समय केन्द्रीय धारा सभा (Emperial legislative Assembly) के सदस्य थे। अपने संकल्प के अनुसार श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने 19 मार्च 1990 को केन्द्रीय धारा सभा के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये कहा कि यह सभा सिफारिश करती है कि सम्पूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जावे और इस विषय में निश्चित प्रस्तावों का निर्माण करने के लिये सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- II, Issues-24, YEAR- April-June-2022

का एक संयुक्त आयोग शीघ्र ही नियुक्त किया जावे। श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने यह प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षा की अत्यन्त दयनीय स्थिति के कारण रखा क्योंकि उस समय मात्र 26.5 प्रतिशत बालकों को प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध थी। इसका स्पष्ट परिणाम था घोर निरक्षरता जिसके कारण कोई भी राष्ट्र कभी सही अर्थ में न तो प्रगति कर सकता है और न जीवन की दौड़ में आगे बढ़ सकता है। गोपाल कृष्ण गोखले की वाणी में ओज कथन में सत्यता तथा माँग में बल था। अतः सरकार ने उनके प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया परन्तु एक वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी सरकार ने इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया। जिसके कारण 16 मार्च 1911 को केन्द्रीय सभा के समक्ष एक बार पुनः श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी अपना विधेयक प्रस्तुत किया और कहा, ''इस विधेयक का उद्देश्य देश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में अनिवार्यता के सिद्धान्त को क्रमशः लागू करना है। श्री गोपाल कृष्ण गोखले के कुछ सुझावों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिनियम उन बोर्डो (स्थानीय निकायों) के क्षेत्रों में लागू किया जावे जहॉ एक निश्चित प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहा हो, उसके लिये स्थानीय बोर्डो द्वारा शासन की अनुमति प्राप्त की जाये। स्थानीय बोर्ड तथा शासन प्राथमिक शिक्षा का व्यय भार 1:2 अनुपात में वहन करे एवं इसके लिये धनार्जन हेतु स्थानीय बोर्ड कर लगाये जावें। प्राथमिक शिक्षा को 6 से 10 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिये अनिवार्य बताते हुये, जिन बच्चों के अभिभावकों की आय 100 रूपये मासिक से कम है उन्हें निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जावे। 18मार्च 1922 को केन्द्रीय सभा में विधेयक पर वाद–विवाद के समय शासकीय प्रवक्ता के रूप में सर हरकोर्ट बटलर ने श्री गोपाल कृष्ण गोखले के प्रस्ताव के विरोध में अनेक तर्क दिये, जिसका श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने उचित उत्तर दिया। तत्पश्चात् 19 मार्च 1912 को मतदान में श्री गोपाल कृष्ण गोखले का प्रस्ताव 13 मतों के विरूद्ध 38 मतों से पराजित हो गया। यद्यपि श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी अपने भागीरथी प्रयत्नो के पश्चात् भी प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने में असफल रहे किन्तु उनकी असफलता सफलता के प्रकाश स्तम्भ को दीप्तिमान करने वाली अनिवार्यता–अधिनियम निर्माण की दिशा निर्देशिका बनी रही।

यही कारण था कि सन् 1918 से 1920 तक की केवल दो वर्षो की अल्प अवधि में सात प्रदेशों (बम्बई, पंजाब, संयुक्त प्रान्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एवं मद्रास) में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पारित कर दिये गये। सन् 1921 में प्रान्तीय शिक्षा का संचालन सूत्र भारतीय मंत्रियों के हाथ में आ जाने से प्राथमिक शिक्षा को सरकार से बल मिला। सन् 1931 से 1937 तक विश्व व्यापी आर्थिक संकट का प्राथमिक शिक्षा के विकास पर असर पड़ा जिससे इसकी प्रगति कुछ सीमा तक प्रभावित हुई। सन् 1935 में प्राथमिक शिक्षा को भारत सरकार अधिनियम के द्वारा गतिशीलता का वरदान मिला। इसके द्वारा 6 प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने सत्तारूढ़ होकर प्राथमिक शिक्षा के विकास को सुनिश्चित किया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का एक नीति निर्देशक सिद्धान्त भारत सरकार ने घोषित किया। इसके अन्तर्गत भारतीय संविधान जिसे 1950 में लागू किया गया, जिसके क्रियान्वयन किये जाने के समय से दस वर्ष के अन्दर सभी बालक–बालिकाओं के लिये जब तक कि वे चौदह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का संकल्प लिया गया। इस प्रकार 14 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान संविधान का एक नीति निर्देशक तत्व है।

भारत में प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण – स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत वर्ष की जो शिक्षा की स्थिति विरासत में प्राप्त हुई वह न केवल संख्यात्मक रूप से छोटी थी अपितु इसकी संरचना भी असन्तुलित अवस्था में थी। इस समय देश की केवल 14 प्रतिशत आबादी ही साक्षर थी तथा तीन में से केवल एक एक बालक–बालिका प्राथमिक विद्यालय में नामांकित थे। यह कम स्तर की शैक्षणिक सहभागिता तथा साक्षरता, क्षेत्रीय असन्तुलन व लैंगिक विषमताओं को बढ़ा रही थी। क्योंकि इन दुर्गुणों को मात्र लोगों को शिक्षित करके ही दूर किया जा सकता है।

महात्मा गांधी के शब्दों में ''समाज के पुनर्निमाण, तथा सामाजिक जागरूकता केवल शिक्षा के प्रचार–प्रसार से ही संभव है।''

6 से 14 वर्ष के आयुवर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमारे संविधान में किये गये प्रावधान को पूरा करने के लिये भारत शासन ने प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में धन का प्रावधान कर शिक्षा के प्रचार–प्रसार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की तथा विभिन्न सामजिक समूहों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया, किन्तु आज तक प्राथमिक शिक्षा के शत–प्रतिशत लोकव्यापीकरण के लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाये हैं।

1. संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि – स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत वर्ष में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार में अभूतपूर्व विकास दिखाई देता है। भारत की प्राथमिक शिक्षा इस समय विश्व की एक सबसे बड़ी शैक्षिक स्तर के रूप में फैल चुकी है। 1950–1951 में जहाँ प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 209671 थी। वर्तमान में संख्या 15 लाख हो गयी। इसी प्रकार

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- II, Issues-24, YEAR- April-June-2022

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या इसी अवधि में 13596 से बढ़कर 453921 हो गयी। वर्तमान समय में प्रत्येक 300 आबादी वाले गॉव में एक प्राथमिक विद्यालय है।

2. नामांकन – स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतवर्ष में शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी। प्राथमिक स्तर पर नामांकन 1951 में 19.2 मिलियन से शत–प्रतिशत हो गई है। 6 से 11 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं के कुल नामांकन का प्रतिशत 1950–1951 में 42.6 प्रतिशत था जो अब 100 प्रतिशत को छू गया। इसी प्रकार 11 से 14 आयु वर्ग का कुल नामांकन 12.7 प्रतिशत से बढ़कर 67.5 प्रतिशत तक पहुॅच गया। 1950–1951 में जहॉ प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर पर 16.3 प्रतिशत बच्चे प्रवेश लेते थे। वहॉ 1992–1993 में यह संख्या 75.7 प्रतिशत तक पहुॅच गयी।

जहॉ एक ओर भारतवर्ष का कुल नामांकन अनुपात प्राथमिक स्तर पर लगीाग 100 प्रतिशत तक पहुॅच गया है। वहां कुछ राज्यों में अभी भी यह अनुपात अपेक्षाकृत कम है। ये राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू काश्मीर तथा मेघालय हैं। उच्च प्राथमिक स्तर में आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम भी राष्ट्रीय नामांकन की तुलना में पीछे है। लगभग वहीं राज्य राष्ट्रीय साक्षरता के औसत की तुलना में काफी पीछे है। प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में यह क्षेत्रीय असंतुलन एक बाधा के रूप में सामने आ रहा है।

लोकव्यापीकरण की समस्या और जटिल इसलिए हो रही है कि विद्यालयों में प्रवेश लिए अधिकांश बालक–बालिकाएं अध्ययन के मध्य में पाठशाला त्याग देते हैं। लगभग आधे छात्र–छात्राएं ऐसे हैं। जो कक्षा एक में प्रवेश लेकर कक्षा–5 में पहुॅचने तक पाठशाला का परित्याग कर देते हैं तथा कक्षा 8 तक लगभग दो तिहाई छात्र पाठशाला त्यागी छात्रों की श्रेणी में आ जाते हैं।

3. लैंगिक विभिन्नताएं – किसी भी शिक्षा के स्तर में नामांकन तथा पाठशाला में अध्ययन हेतु रूके रहने (अध्ययन पूरा करने) में प्रभाव डालने वाला एक प्रमुख कारक लैंगिक विभिन्नता का है। निःसन्देह अनेक कारणों के कारण बालकों की तुलना में बालिकाओं में यह दर कम है भारतवर्ष में सन् 1950–1951 में प्राथमिक स्तर पर 5.4 मिलियन लड़कियों का नामांकन था जो अब शत–प्रतिशत हो गया है। अपर प्राथमिक स्तर पर यह नामांकन 0.5 मिललियन से बढ़कर 25 मिलियन तक पहुॅच गया। इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि बालिकाओं के नामांकन की वृद्धि दर बालकों की तुलना में तेजी से बढ़ी है। फिर भी अनेक ऐसी विषम परिस्थितियों के कारण आज भी यह संख्या बालकों के नामांकन की संख्या को स्पर्श नहीं कर पायी। इसके साथ ही साथ बालिकाओं के पाठशाला त्यागने की संख्या में भी बालकों की तुलना में काफी अन्तर है, बालिकाएं अधिक संख्या में पाठशाला त्यागी है।

4. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बालक–बालिकाओं के प्राथमिक शिक्षा की अखिल भारतीय स्थिति– सन् 1991 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 138.2 मिलियन (देश की कुल आबादी की 16.33 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जन–जाति की जनसंख्या 67.8 मिलियन (कुल जनसंख्या का 8.01 प्रतिशत) थी। 6 से 11 आयुवर्ग के अनुसूचित जाति की जनसंख्या 32 मिललियन तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 10.7 मिलियन थी। प्राथमिक शिक्षा में अनुसूचित जाति के बालक–बालिकाओं का नामांकन क्रमशः 12 तथा 8 मिलियन था। जबकि अनुसूचित जनजाति में यह नामांकन 4.3 तथा 2.8 मिलियन था।

5. विकलांग बच्चों की संख्या– सन् 1991 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष के विकलांग बालकों (6 से 14 आयुवर्ग) की संख्या लगभग 10.39 मिलियन थी। इनमें से लगभग आधे बच्चे शिक्षा प्राप्ति के अवसर पा रहे थे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन के पश्चात् देश में इन विकलांग छात्र–छात्राओं को शिक्षित करने की दिशा में विषेश पहल प्रारम्भ की गयी।

6. अखिल भारतीय पाठशाला अप्रवेशी एवं पाठशाला त्यागी बालक–बालिकाओं की स्थिति– जुलाई 1986 से जून 1987 तक हुए बयालिसवें राष्ट्रीय मानक सर्वेक्षण के द्वारा प्राथमिक पाठशालाओं में नामांकन न होने तथा पाठशाला त्यागने के कारणों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। इस सर्वेक्षण के द्वारा यह पता चलता है। कि ग्रामीण क्षेत्र के 10 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के 0.8 प्रतिशत बालक–बालिका विद्यालयी सुविधा उपलब्ध न हो पाने के कारण पाठशाला में प्रवेश ही नहीं लेते। इसमें से अधिकांश बालक–बालिकाओं ने यह स्पष्ट किया कि उन्हें यदि विद्यालयी सुविधा उपलब्ध होती तो वे अध्ययन कर सकते थे, किन्तु कुछ ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें अध्ययन में कोई भी रूचि नहीं है।

पाठशाला त्यागने वाले कुल छात्र–छात्राओं में 52 प्रतिशत बालक तथा 29 प्रतिशत बालिकाएं घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु रोजी–रोटी कमाने के लिये पाठशाला का परित्याग कर देते हैं। लगभग 3 प्रतिशत बालक और 27 प्रतिशत बालिकाएं घर में छोटे बालक–बालिकाओं की देखभाल हेतु बीच में पाठशाला त्याग देते हैं। लगभग 26.5 प्रतिशत बालक तथा

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- II, Issues-24, YEAR- April-June-2022

28.5 प्रतिशत बालिकाएं शिक्षा से अरूचि के कारण अथवा आगे पढ़ने की रूचि न रखने के कारण पाठशाला त्याग देते हैं। लगभग 16.3 प्रतिशत बालक तथा 12.5 प्रतिशत बालिकाएं प्राथमिक स्तर की किसी एक कक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण पाठशाला त्याग देते हैं। लगभग 2.2 प्रतिशत बालक तथा 3 प्रतिशत बालिकाएं किसी न किसी भय के कारण पाठशाला त्यागी श्रेणी में आ जाते हैं।

भारत में ऐसे प्रदेशों में जहॉ साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत दर से अधिक हैं। जैसे– केरल, गोवा, पाण्डिचेरी इत्यादि में पाठशाला त्यागने वाले छात्र–छात्राओं का प्रतिशत कम है। औसत साक्षरता वाले राज्यों में भी यह स्थिति लगभग सन्तोषजनक है, किन्तु उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में पाठशाला त्यागी विद्यार्थियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है यहॉ बालिकाओं के पाठशाला त्यागने की स्थिति अभी भी बहुत दयनीय है।

7. अध्ययन उपलब्ध (न्यूनतम् अधिगम स्तर)– अखिल भारतीय सर्वेक्षण 1986 के द्वारा ज्ञात यह तथ्य कि लगभग 50 प्रतिशत बालक–बालिकाएं कक्षा 5 तक पहुॅचकर पाठशाला छोड़ देते हैं। एक चिन्तनीय विशय है। इससे भी चिन्तनीय बात पाठशाला में अध्ययन कर रहे छात्र–छात्राओं के द्वारा एक निश्चित स्तर तक अधिगम की उपलब्धि न कर पाना है। सन् 1993–94 में भारतवर्ष के 48 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रारम्भ प्राथमिक शिक्षा के शत–प्रतिशत लोकव्यापीकरण के उद्देष्य से किया गया। इसके संचालन के प्रारम्भिक चरण में वेसलाइन सर्वे के अन्तर्गत कक्षा 2 और कक्षा 5 में अध्ययनरत छात्रों के गणित और भाषा विषय में उपलब्धि के स्तर का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि सर्वे किये गये इन 48 जिलों में अधिगम का अधिकतम् औसत अंक मात्र 52 प्रतिशत तक ही सीमित था। इसमें गणित विषय में उपलब्धि का स्तर भाषा के अपेक्षा काफी कम था।

शोध क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में किये जाने वाले प्रयासों का विवरण– स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने शिक्षा के प्रचार–प्रसार को एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में स्वीकार किया। चूॅकि हमारे देश की जनसंख्या यहॉ उपलब्ध संसाधनों की तुलना में बहुत अधिक थी, इसलिये शासकीय स्तर पर सर्वप्रथम शिक्षा के प्राथमिक स्तर के विकास पर ध्यान केन्द्रित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिये संवैधानिक व्यवस्था, आयोगों की नियुक्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जैसे प्रयास समय–समय पर किये गये, शोध क्षेत्र भी इन प्रयासों से प्रभावित रहा। इन प्रयासों की संक्षिप्त विवेचना निम्नानुसार है–

1. संवैधानिक व्यवस्था– सन् 1950 में भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर प्रत्येक राज्य को 6 से 11 आयु समूह के बालक–बालिकाओं को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश देने की व्यवस्था की गयी।

2. अनिवार्य शिक्षा योजना– संविधान के इन निर्देशों के पालन हेतु सन् 1954–1955 में अनिवार्य शिक्षा योजना प्रारम्भ की गई जिसे पूरे देश में लागू किया गया। जिसमें प्रत्येक विद्यालय को अपने क्षेत्र के 6 वर्ष आयु के सभी बालक–बालिकाओं को अनिवार्य रूप से विद्यालय में प्रवेश कराने का दायित्व सौपा गया, किन्तु अनेक अवरोधों के कारण यह योजना सफल नहीं हो सकी और शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में किया गया यह प्रयास समुचित प्रभाव नहीं डाल पाया।

3. आयोग एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझाव– कोठारी आयोग (1964–1966) ने प्राथमिक शिक्षा को सभी क्षेत्रों में सुलभ बनाते हुये जिस स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन समाप्त करने का सुझाव दिया, जिससे पहली बार शोधक्षेत्र में भी प्राथमिक शिक्षा स्तर पर अपव्यय व अवरोधन को समाप्त करने की दिशा में पहल प्रारम्भ की गई।

शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षानीति 1968 में संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था जो पूर्व में 6–11 आयुवर्ग के लिये थी, को 6 से 11 तक के लिये करने का सुझाव दिया गया।

सन् 1986 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संसद में पारित किया गया देश के इतिहास में यह प्रथम अवसर था कि शैक्षिक सुधार के लिये दी गयी किसी शिक्षा नीति को देश के संसद में पारित कराया गया हो। इसके सुझावों को सम्पूर्ण राष्ट्र में क्रियान्वित करने की योजना को पुनः संसद में पारित कराया गया। इसका प्रतिफल यह हुआ कि देश के प्रत्येक राज्य इस नीति के अन्तर्गत दिये गये सुझाव के अनुसार शैक्षिक प्रबन्ध करने हेतु बाध्य हो गये। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार 6–14 वर्ष तक के सभी बालक–बालिकाओं का विद्यालयों में शत–प्रतिशत नामांकन तथा शत–प्रतिशत ठहराव करना सुनिश्चित किया गया। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्रारम्भ की गयी जिसके अन्तर्गत अच्छे विद्यालय भवन, अच्छे शैक्षिक उपकरण, पर्याप्त शिक्षक, शिक्षा संसाधन, तथा न्यूनतम पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई गई।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत पूरे देश में विभिन्न चरणों में विद्यालय खोले गये । इस योजना के अन्तर्गत शिक्षकों का चयन कर शैक्षिक उपकरण तथा न्यूनतम पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायी गयी।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- II, Issues-24, YEAR- April-June-2022

4. औपचारिकेत्तर शिक्षा– कोठारी आयोग ने शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय विकास करने हेतु जो अनुशंसायें दी हैं, उनमें लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनेकों व्यवहारिक सुझाव भी दिये हैं, जिसमें मुख्य रूप से अंशकालीन शिक्षा की व्यवस्था एवं सामाजिक आर्थिक जीवन से संबंधित शिक्षा पर अधिक बल दिया गया। भारत सरकार ने 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु समूह वाले बालक–बालिकाओं को सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर विश्लेषित कर इन्हें दो श्रेणियों में विभक्त किया गया। इनमें से प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत वे बालक–बालिकाएं सम्मिलित किये गये हैं। जो कभी पाठशाला गये ही नहीं अर्थात पाठशाला अप्रवेशी, दूसरे वे जिन्होंने किसी कारण वश प्राथमिक अध्ययन बिना पूरा किये हुये पाठशाला का परित्याग कर दिया अर्थात् सन् 1975 से ऐसे बालक–बालिकाओं के लिये औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों का खोलना प्रारम्भ किया गया।

5. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम– प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एक अभिनव प्रयोग है, जिसकी सार्थकता एवं सफलता स्थानीय लोगों के सहयोग, सहभागिता व साझेदारी पर निर्भर है।

समस्यायें–

1. भौगोलिक स्थिति।
2. जनसंख्या वृद्धि के अनुरुप प्राथमिक विद्यालयों की संख्या मे पर्याप्त वृद्धि का न हो पाना।
3. अशिक्षित माता–पिता को अपने बच्चों हेतु शिक्षा की सुविधा के उपभोग करने की प्रेरणा का अभाव।
4. सुदृढ़ आर्थिक स्थिति न होना।
5. शिक्षा ग्रहण करने तथा आगामी अध्ययन के प्रति अरुचि होना।
6. तुलनात्मक स्थिति।
7. शैक्षिक कारक।
8. सामाजिक असन्तुलन।
8. धनाभाव के कारण बाल श्रमिक वृत्ति।
9. बालिकाओं में पाठशाला त्यागने की अधिक प्रवृत्ति।
10. प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव।
11. प्राथमिक शिक्षा हेतु उपर्युक्त राशि प्राप्त न होना।
12. प्रशासनिक व्यवस्था का सुदृढ़ न होना एवं उपर्युक्त पर्यवेक्षण का अभाव।
13. औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों का प्रभावहीन होना।
14. छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या का कम होना।
15. प्रोत्साहन योजनाओं का समुचित लाभ प्राप्त न होना।

सुझाव–

1. छात्रों एवं अभिभावकों के शिक्षा, प्रलोभन तथा अभिप्रेरण।
2. आर्थिक समस्याओं का समाधान।
3. सामाजिक बाधाओं का समाधान।
4. अनिवार्य शिक्षा की स्थिर नीति।
5. नये विद्यालयों की स्थापना।
6. शिक्षकों की समस्या का हल।
7. जनता का सहयोग।
9. भाषा की समस्या का समाधान।
10. शिक्षा का व्यापक प्रसार।
11. भौगोलिक बाधाओं का निवारण।
12. कक्षाओं में छात्रों की संख्या में वृद्धि।
13. पाठ्यक्रम में सुधार।
14. महिला शिक्षिकाओं की प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति।
15. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन।
16. स्कूल बच्चों के घर से एक निश्चित दूरी से अधिक न हो।
17. पाठ्यक्रम सरल, रोचक, प्रायोगिक तथा व्यवहारिक हो।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- II, Issues-24, YEAR- April-June-2022

18. कक्षाओं में बच्चों की आयु स्तर से समानता के नियम का पालन हों।
19. निरीक्षण हेतु निरीक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाये।
20. स्कूलों में स्वास्थ्य सेवा की उचित व्यवस्था हो।
21. छात्र व अध्यापक संख्या एक निश्चित अनुपात में हो।
22. स्कूलों में खेलकूद का उचित प्रबन्ध हो।
23. अध्यापक–अभिभावक संघों का निर्माण हो।
24. कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाये।
25. छात्रों के प्रति अध्यापक का दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण हो।
26. शिक्षण विधि और परीक्षा प्रणाली में आमूल सुधार किये जाये।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएं– पी.डी. पाठक।
2. शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के मूल आधार– डॉ. गोविन्द तिवारी।
3. भारत में शिक्षा दर्शन एवं शैक्षिक समस्याएं– पी.डी. पाठक एवं त्यागी।
4. शिक्षा क्रम विकास– डॉ. श्याम लाल कौशिक।
5. प्रारम्भिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण– उमा शंकर चतुर्वेदी।
6. आधुनिक भारतीय शिक्षा समस्याएं एवं समाधान– रविन्द्र अग्निहोत्री।
7. शिक्षा में नए आयाम एवं नवाचार– उमा शंकर चतुर्वेदी।
8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)– जे.सी0 अग्रवाल।
9. नई शिक्षा नीति क्रियान्वयन एवं सतत मूल्यांकन।
10. भारतीय शिक्षा की समस्याएं एवं प्रवृत्तियॉ– डॉ. सुबोध अदावाल, माधवेन्द्र उनिया।
11. आधुनिक भारत में शिक्षा– प्रो. हेतसिंह बुन्देला।

*****